कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. पीक्यू/6(131)2017/कैलेंडर/23993 4765 दिनांक: 17.01.2018

18 JAN 2018

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय, अंचल एवं पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस.),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I मुख्यालय एवं क्षे.का.

विषय : 16 वीं लोकसभा के चौदहवें सत्र तथा राज्य सभा के 245वें सत्र 2018 (बजट सत्र, 2018) के दौरान प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठकें तथा दिनों के आबंटन संबंधी कैलेंडर ।

महोदय,

लोकसभा एवं राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि 16वीं लोकसभा का चौदहवां सत्र तथा राज्यसभा का 245वां सत्र (**संसद का बजट सत्र, 2018) 29 जनवरी, 2018 (सोमवार) से आरंभ हो रहा है** तथा यह सत्र **06 अप्रैल, 2018 (शुक्रवार) तक जारी रहेगा** । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आबंटित दिनों का विवरण इस प्रकार है :-

विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आबंटित संसदीय प्रश्नों के दिन	सोमवार 05 फरवरी, 2018 05, 12, 19 एवं 26 मार्च, 2018 02 अप्रैल, 2018	बुधवार 07 फरवरी, 2018 07, 14, 21 एवं 28 मार्च, 2018 04 अप्रैल, 2018
निजी सदस्यों के संकल्प के लिए आबंटित दिन	शुक्रवार 09 फरवरी, 2018 16 मार्च, 2018 06 अप्रैल, 2018	शुक्रवार 09 फरवरी, 2018 16 मार्च, 2018 06 अप्रैल, 2018
निजी सदस्यों के विधेयक के लिए आबंटित दिन	शुक्रवार 02 फरवरी, 2018 09 मार्च, 2018 23 मार्च, 2018	शुक्रवार 02 फरवरी, 2018 09 मार्च, 2018 23 मार्च, 2018

{सदन 09 फरवरी, 2018 को स्थगित कर दिया जाएगा और 05 मार्च, 2018 को पुनः इसकी बैठक होगी}

2. इस परिप्रेक्ष्य में, यह अनुरोध किया जाता है कि संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए अपेक्षित सूचना / सामग्री को rc.pqcell@epfindia.gov.in पर **ई-मेल के माध्यम** से एवं फैक्स के द्वारा **011-26100314** पर भी भेजा जाए । **क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्तों का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि हार्ड कॉपी एवं ई-मेल के उत्तर एक समान हों ।**

3. पूर्व में यह देखा गया है कि कभी - कभी ससंदीय प्रश्न बहुत ही अल्प सूचना पर प्राप्त होते हैं । अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी/स्टाफ उक्त अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहें ।

{अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त-मुख्यालय (पी.क्यू.) के अनुमोदन से जारी}

भवदीय,

18-1-18

(अमिय कांत)
क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-। (संसदीय प्रश्न)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित प्रेषित ।
2. मुख्यालय के सभी अनुभाग ।

D:\Manjit\बजट सत्र दिसंबर 2018.doc